न्यायालय– मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया

बेतिया नगर – 1039/2018

दिनांक–24/05/2022

बेतिया नगर थाना कांड संख्या – 1039/2018 के अन्तर्गत दिनांक 21/05/2022 से काराबंदी अभियुक्तगण तीपू मियां एवं शमीम अखतर की ओर से उनके जमानत आवेदन को संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि वे निर्दोष है। उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया हैं। दोनो पक्षो के बीच सौहार्दपूर्ण सुलह हो गया है और जमानत आवेदन के साथ सुलहनामा आवेदन दाखिल किया गया है। उसके द्वारा कोई दूसरा जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया हैं। वह न्यायालय के संतुष्टि के आधार पर किसी भी राशि का बंधपत्र देने को तैयार हैं। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाये। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान जिला अभियोजन पदा0 को प्रदान की गयी ।

विद्वान जिला अभियोजन पदाधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

सूचक कृष्णा कुमार के फर्दबयान में वर्णित अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 03/12/2018 को समय करीब 18:00 बजे संध्या में सूचक अपने दरवाजा पर बैठा था तभी हलला सुनकर अपने मुहल्ला के हनुमान मंदिर के सामने सूचक सूचक अपनी मौसी नूरजहॉ खातून के दुकान पर गया तो देखा कि सूचक की मौसी नूरजहॉ खातून को समीम अखतर शराब के नशे में घुत होकर गाली गलौज कर रहा था। सूचक अपने मौसी नूरजहॉ खातून को घर जाने के लिए कहने लगा। इसी क्रम में सूचक मुहल्ला के अरबाज कुरैशी, फारूख कुरैशी, अकबर कुरैशी, लडडू कुरैशी, टीपू मियां, समीम अखतर लाठी, बॉस, लोहे का राड लेकर आ गये। अरबाज कुरैशी ने सूचक को पकड लिया। लडु कुरैशी ने बोला कि इसको जान से मार दो। इतने में अरबाज कुरैशी ने बॉस से सूचक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे सूचक का सिर जख्मी हो गया। अकबर कुरैशी ने लोहे के राड से सूचक को जान मारने के नियत से सिर पर मारकर जख्मी कर दिया। राजा कुमार दौडकर सूचक के पास आया तो अरबाज कुरैशी ने बॉस से जानलेवा प्रहार कर राजा कुमार का सिर तथा गर्दन जख्मी कर दिया। राजा कुमार गिरकर बेहोश हो गया।

उभय पक्षों को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी का नामजद अभियुक्तगण है। इस वाद में भा0 द0 वि0 की धारा 341, 323, 307, 504/34 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसमें भा0 द0 वि0 की धारा 307/34 अजमानतीय है। सूचक ने आवेदक अभियुक्तगण पर अन्य सह–अभियुक्तो के साथ मिलकर मारपीट, गाली गलौज, जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोप की गंभीरता को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्तगण कों जमानत की सुविधा का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है। तद्नुसार आवेदक अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 23/05/2022 खारिज किया जाता है।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी